



## प्रेस नोट

### सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 22.03.2024

- अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु कानपुर देहात पुलिस द्वारा 01 नफर जिला बदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- थाना भोगनीपुर पुलिस ने शातिर अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद करते हुए किया गिरफ्तार।
- अभियुक्त पर डेढ़ दर्जन अभियोग हैं पंजीकृत ।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 22.03.2024 की रात्रि में जिलाबदर अभियुक्त लुकमान पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम चाँदापुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 35 वर्ष को मय 01 अदद नाजायज चाकू के साथ ग्राम चाँदापुर से 50 मीटर पहले थाना भोगनीपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 72/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व धारा 10 गुण्डा अधिनियम थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

**पूँछताछ-** अभियुक्त द्वारा पूँछताछ में बताया गया कि साहब मुझे जिलाबदर किया गया था तथा मेरी गाँव में कई लोगों से दुश्मनी भी है इसलिये मैं अपनी सुरक्षा के लिये चाकू अपने पास रखता हूँ। लेकिन आज आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया गया। साहब मुझसे गलती हो गयी है अब मैं कभी भी चाकू अपने पास नहीं रखूँगा और न ही जिला बदर के दौरान कभी जिले में आऊँगा।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. लुकमान पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम चाँदापुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 35 वर्ष ।

## अभियुक्त लुकमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 202/01 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 116/04 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 285/08 धारा 147/452/323/324/504 भा0द0वि0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
4. मु0अ0सं0 179/09 धारा 3/5 गुण्डा निवारण अधिनियम थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
5. मु0अ0सं0 16/2009 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना देवराहट जनपद कानपुर देहात।
6. मु0अ0सं0 6161/12 धारा 147/148/323/504/506/452 भा0द0वि0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
7. मु0अ0सं0 399/12 धारा 3/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11(1) पशु क्रूरता अधिनियम थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
8. मु0अ0सं0 555/14 धारा 3 उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
9. मु0अ0सं0 124/14 धारा 3/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11(घ) पशु क्रूरता अधिनियम थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
10. मु0अ0सं0 263/14 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
11. मु0अ0सं0 37/16 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
12. मु0अ0सं0 404/16 धारा 3/5 गुण्डा निवारण अधिनियम थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
13. मु0अ0सं0 115/17 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
14. मु0अ0सं0 312/17 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
15. मु0अ0सं0 196/20 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
16. मु0अ0सं0 44/20 धारा 323/504/506 भादवि थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
17. मु0अ0सं0 129/20 धारा 3/5 गुण्डा निवारण अधिनियम थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
18. नि0का0सं0 80/23 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

## बरामदगी -

1. अभियुक्त के पास 01 अदद चाकू नाजायज बरामद हुआ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री अंजन कुमार सिंह थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
2. उ0नि0 श्री आनन्द कुमार थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
3. हे0का0 524 आदेश कुमार थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
4. हे0का0 324 शशिभानु तिवारी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।